2. पूर्वाधिकार अंशों का शोधन

(Redemption of Preference Shares)

पूर्वाधिकार अंशों के शोधन से आशय पूर्वाधिकारी अंशधारियों को उनकी पूँजी का भुगतान करने से है।

शोध्य पूर्वाधिकार अंशों के शोधन से सम्बन्धित मुख्य प्रावधान (Main Provisions Related to Redemption of Preference Shares) **कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 55 (कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 80)** के अनुसार पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के सम्बन्ध में मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं—

(1) कम्पनी के पार्षद अन्तर्नियम द्वारा अधिकृत होने पर केवल पूर्णदत्त (Full Paid up) शोध्य पूर्वाधिकार अंशों का ही शोधन किया जा सकता हैं, आंशिक दत्त (Partly Paid up) अंशों का नहीं। अत: यदि प्रश्न में अंशत: दत्त पूर्वाधिकार अंश दिये हुए हैं और उनके शोधन के लिए कहा गया है तो यह माना जायेगा कि शोधन से पूर्व कम्पनी ने उक्त अंशों पर बकाया राशि प्राप्त कर ली है। इसके अतिरिक्त यदि प्रश्न में पूर्णदत्त एवं अंशत: दत्त दोनों प्रकार के पूर्वाधिकार अंश दिये हुए हैं तो किसी अन्य निर्देश के अभाव में केवल पूर्णदत्त पूर्वाधिकार अंशों का ही शोधन किया जायेगा।

(2) ऐसे अंशों का शोधन (i) कम्पनी के विभाजन योग्य लाभों (Profits available for dividend) से हो सकता है अर्थात् ऐसे लाभ से हो सकता है जो लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध है, अथवा (ii) ऐसे नये अंशों के निर्गमन की प्राप्त राशि से किया जा सकता है जिनका निर्गमन ऐसे शोधन के उद्देश्य से ही किया गया है।

(3) **विभाजन योग्य लाभों से शोधन करने के सम्बन्ध में यह ध्यान रखें कि निम्नलिखित लाभों का प्रयोग लाभांश वितरण के लिए किया जा सकता है—**

(i) लाभ-हानि खाता/विवरण (Profit & Loss Acoount/Statement)

(ii) सामान्य संचय (General Reserve)

(iii) संचित कोष (Reserve Fund)

(iv) बीमा कोष (Insurance Fund),

(v) लाभांश समानीकरण कोष (Dividend Equalisation Fund)

(vi) कर्मचारी-क्षतिपूर्ति कोष (Employees Compensation Fund) तथा

(vii) कर्मचारी दुर्घटना कोष (Worker's Accidents Fund).

कुछ कोषों का पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए उपलब्ध न होना—निम्नलिखित लाभों/कोषों का उपयोग शोध्य पूर्वाधिकार अंशों के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये लाभ पूँजीगत प्रकृति के होते हैं :

(i) प्रतिभूति प्रीमियम खाता (Security Premium A/c),

(ii) अंश हरण खाता (Share Forfeited A/c),

(iii) कम्पनी के समामेलन के पूर्व के लाभ (Profits Prior to Incorporation of a Company),

(iv) पूँजी संचय खाता (Capital Reserve),

(v) विकास छूट संचिति (Development Rebate Reserve), एवं

(vi) विनियोग भत्ता संचय (Investment Allowance Reserve)

यदि ऐसे अंशों का शोधन उपरोक्त वर्णित विभाजन योग्य लाभों में से किया जाना हो तो शोधन किये जाने वाले अंशों के अंकित मूल्य (Face Value) की राशि के बराबर धनराशि लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों में से हस्तान्तरित करके **'पूँजी शोधन संचय खाते'** (Capital Redemption Reserve A/c) में क्रेडिट करनी होगी। **पूँजी शोधन संचय खाते का प्रयोग केवल कम्पनी के अंशधारियों को पूर्णदत्त बोनस अंश निर्गमित करने के लिये किया जा सकता है, अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं।** पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिये सामान्य संचय एवं अन्य कोषों का उपयोग तब तक वांछनीय नहीं होगा जब तक कि लाभ-हानि खाते में शेष उपलब्ध है। इसका अर्थ यह हुआ कि पहले लाभ-हानि खाते में उपलब्ध राशि का उपयोग किया जाता है एवं लाभ-हानि खाते का शेष समाप्त होने पर अन्य कोषों का उपयोग किया जाता है।

(3) शोधन के लिए निर्गमित किये जाने वाले नये अंश पूर्वाधिकारी (अधिमान) हो सकते हैं अथवा समता। नये अंशों का निर्गमन सममूल्य, प्रीमियम अथवा कटौती पर किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दु ध्यान रखने योग्य हैं—

(i) यदि नये अंशों का निर्गमन सम-मूल्य अथवा प्रीमियम पर किया गया है तो निर्गमित अंशों के अंकित मूल्य (Face Value) के बराबर की राशि को अंशों के शोधन के लिये प्रयोग किया जायेगा। प्रीमियम की राशि का प्रयोग शोधन के लिए नहीं हो सकता है।

(ii) यदि नये अंशों का निर्गमन कटौती पर किया गया है तो नये अंशों के निर्गमन से प्राप्त शुद्ध राशि अर्थात् अंकित मूल्य में से कटौती घटाकर बची शेष राशि को ही अंशो के शोधन के लिये प्रयोग किया जायेगा।

(4) **लाभ में से तथा नए अंशों को निर्गमित करके पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान करना**—कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान आंशिक रूप से नए अंशों को निर्गमित करके किया जा सकता है। इस प्रकार, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश पूँजी का शोधन कम्पनी के लाभों में से (अर्थात पूँजी शोध्य संचय खाते से) और नए अंशो को निर्गमित करके किया जाता है।

(5) यदि पूर्वाधिकार अंशों का शोधन प्रीमियम पर किया जाना है तो अंशों के शोधन से पूर्व प्रीमियम की व्यवस्था कम्पनी के लाभों, आयगत संचितियों अथवा प्रतिभूति प्रीमियम खाते से की जा सकती है। यदि प्रश्न में पुराने या नये अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम का शेष दिया हुआ हो तो पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर देय प्रीमियम की व्यवस्था के लिये लाभों व अन्य संचितियों की अपेक्षा प्रीमियम खाते को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

नोट—यदि प्रश्न में शोधन हेतु नए अंशों के निर्गमन की राशि दी है, तो शोधन हेतु शेष राशि की व्यवस्था कम्पनी के विभाजन योग्य लाभों से की जाएगी। यदि प्रश्न में कम्पनी के विभाजन योग्य लाभों की राशि दी गई है, तो शेष राशि की व्यवस्था नए अंशों के निर्गमन से की जाएगी। यदि प्रश्न में पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नए अंशों के निर्गमन के बिना ही किया गया है तो यह माना जाएगा कि कम्पनी के पास शोधन हेतु विभाजन योग्य लाभों की पर्याप्त/वांछित राशि उपलब्ध है।

पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर लेखांकन प्रविष्टियाँ
(ACCOUNTING ENTRIES FOR REDEMPTION OF PREFERENCE SHARES)

1. आंशिक दत्त पूर्वाधिकार अंशों को पूर्णदत्त बनाने पर (यदि कोई हो) :

(i) Redeemable Pref. Share Final Call A/c Dr.
To Redeemable Pref. Share Capital A/c
(Being final call on Preference Shares due)

(ii) Bank A/c Dr.
To Redeemable Preference Share Final Call A/c
(Being money realised on final call)

2. नये अंशों के निर्गमन पर :

Bank A/c Dr.
To Share Capital A/c
To Security Premium Reserve A/c (यदि हो)
(Being shares issued)

3. विभाजन योग्य लाभों में से अंशों का शोधन किए जाने पर :

Surplus A/c Dr.
Dividend Equalisation Reserve A/c Dr.
General Reserve/Reserve Fund A/c Dr.
or Any other Reserve A/c Dr.
To Capital Redemption Reseve A/c
(Being provision of Capital Redemption Reserve)

4. शोधन पर दी जाने वाली प्रीमियम की राशि की व्यवस्था करने पर (यदि कोई हो) :

Security Premium Reserve A/c Dr.
Surplus/General Reserve A/c Dr.
To Premium on Redemption of Preference Share Capital A/c
(Being privision of premium on redemption of preference shares)

5. शोध्य पूर्वाधिकार अंश पूँजी को अंशधारियों के खाते में हस्तान्तरित करने पर :

Redenmable Pref. Share Captial A/c Dr. (पूँजी के अंकित मूल्य से)
Premium on Redemption of Pref. Shares A/c Dr. (प्रीमियम की राशि से)
To Redeemable preference Shareholders' A/c (दोनों के योग से)
(Being pref. shares redeemed at premium and the amount due to shareholders)

6. पूर्वाधिकार अंशधारियों का भुगतान करने पर :

Redeemable Pref. Shareholders' A/c Dr. (भुगतान की जाने वाली राशि से)
To Bank A/c
(Being payment made to Preference Shareholders)